



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय— साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा(छ.ग.)

फोन नं. 07759-221288 फैक्स नं. 07759-221929 पो.बाक्स नं.-12 पिन कोड-495677

Website : www.korbamunicipal.in

Email : Corporationkorba@gmail.com

फा.क्रमांक / 11 / भवन अनुज्ञा शाखा / 2021

कोरबा दिनांक

ईशतहार


एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है, कि नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत (कोसाबाड़ी जोन) में निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा नगर पालिक निगम से कॉलोनाईजर अनुज्ञप्ति / विकास अनुज्ञा प्राप्त किये बिना ही भूमि को भू-खण्डों में विभक्त कर अन्य व्यक्तियों को विक्रय किया गया / किया जा रहा है :-

01. श्री नरेन्द्र गुरुगं पिता श्री देवबहादुर गुरुगंपता- एस.बी.एस.कॉलोनी, कोरबा द्वारा दादरखूर्द प0ह0नं0 21 वार्ड क्रमांक 30 भूमि खसरा क्रमांक 1302/1 रकबा 0.68 एकड़ तथा 1304 रकबा 0.32 एकड़ कुल योग 01 एकड़ ।
02. श्री चन्द राम यादव पिता श्री बहोरन यादव पता- खरमोरा, कोरबा आम मुख्तयार श्री अजय जैन पिता स्व. एम.एल. जैन पता- महाराणा प्रताप नगर कोरबा द्वारा वार्ड क्रमांक 31 खरमोरा स्थित भूमि (पुराना खसरा क्रमांक) 75/2क रकबा 0.50 एकड़, 132/1 रकबा 0.44 एकड़, 132/2 रकबा 0.90 एकड़ कुल योग रकबा 1.84 एकड़ (नया खसरा क्रमांक प0ह0नं0 20 रा.नि.मं0 तहसील व जिला कोरबा (छ.ग.)।
03. श्री ओंकार सिंह ठाकुर पिता स्व. मकसूदन सिंह ठाकुर एव श्री बुधेश्वर सिंह ठाकुर पिता श्री ओंकार सिंह ठाकुर पता-पोड़ीबहार कोरबा द्वारा खरमोरा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 273 में से तथा खसरा क्रमांक 5/2 शामिल खसरा 7/2 रकबा 0.141 हेक्टेयर खसरा क्रमांक 9/1 रकबा 0.0370 हेक्टेयर।
04. श्री इग्नेश लकड़ा पिता स्व0 मतियस लकड़ा (उरांव) पता- पोड़ीबहार कोरबा द्वारा दादरखूर्द स्थित भूमि खसरा क्रमांक 17/1 रकबा 0.232 हेक्टेयर , खसरा क्रमांक 14/1 रकबा 0.240 हेक्टेयर खसरा क्रमांक 16/1 रकबा 0.200 हेक्टेयर, तथा खसरा क्रमांक 36/1 रकबा 0.430 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 13/2 रकबा 0.284 हेक्टेयर, प. ह.नं. 21 रा.नि.मं.व तहसील जिला-कोरबा।
05. श्री विजय कुमार सिन्हा पिता श्री कैलाश प्रसाद सिन्हा एवं श्री ललित कुमार सिन्हा पिता श्री अवधेश प्रसाद सिन्हा पता- 11/13 मानिकपूर कोरबा द्वारा दादरखूर्द स्थित भूमि खसरा क्रमांक 951 में से रकबा 0.72 एकड़ प.ह.नं. 21 वार्ड क्रमांक 30.
06. श्री सीताराम थवाईत पिता स्व. परदेशी लाल थवाईत व मुख्तयार आम रामीन बाई पति स्व. परदेशी लाल, उषा थवाईत, संतोषी थवाईत पिसरान स्व0 परदेशी लाल पता- पुरानी बस्ती कोरबा द्वारा दादरखूर्द प.ह.नं0 21 खसरा क्रमांक 938 रकबा 1.180 हेक्टेयर।

क्रमशः // 2 //

उक्त वर्णित खसरो की भूमि अवैध प्लाटिंग/अवैध व्यपवर्तन के अंतर्गत है एवं उसमें कय की गई भूमि के अंतरण को शून्य करते हुए राजस्व विभाग छ.ग. शासन/नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर अंतरित किये जाने की कार्यवाही किया जाना है। उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक10.03.21 तक नगर पालिक निगम मुख्य कार्यालय साकेत भवन के प्रथम तल भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 22.02.21 को मेरे हस्ताक्षर से ईशतहार जारी किया गया।


भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय— साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा(छ.ग.)

फोन नं. 07759-221288 फैक्स नं. 07759-221929 पो.बाक्स नं.-12 पिन कोड-495677

Website : www.korbamunicipal.in

Email : Corporationkorba@gmail.com

फा.क./11/भवन अनुज्ञा शाखा/2021

कोरबा,दिनांक

// आम -सूचना //

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत कुछ लोगो द्वारा कृषि भूमियों को अवैध प्लाटिंग कर (छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त कर) विक्रय किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 292 (ग), (घ),(ङ). तथा 292 (च) (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम 2013 के तहत दण्डनीय/संज्ञेय अपराध है, जिसमे जूर्माना तथा कारावास का प्रावधान है। अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध नगर पालिक निगम द्वारा कठोर कार्यवाही की जा रही है ,अवैध प्लाटिंग की भूमियों का अन्तरण शून्य करने , अवैध प्लाटिंग करने वालो के विरुद्ध थाने में एफ.आई.आर. (प्राथमिकी दर्ज) करने की कार्यवाही, अवैध प्लाटिंग में निर्मित अवैध निर्माण पर विद्युत संयोजन प्रदाय नही करने हेतु छ.ग.रा.वि.वितरण.कं.लि.को पत्र प्रेषित करने के साथ ही साथ उप-पंजीयक कोरबा/कटघोरा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा /कटघोरा को भूमि के पंजीयन करने से पूर्व तथा भूमि का नामांतरण करने से पूर्व आवश्यक जांच पड़ताल करने के उपरांत ही उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र प्रेषित की गई है।

अतः आम जन से अपील है, कि नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत निजी भूमि के क्रय करने से पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, नगर पालिक निगम से विधिवत अभिन्यास/विकास अनुज्ञा/अनुमति प्राप्त है अथवा नही के संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल करने के बाद ही भूमि का क्रय/विक्रय करें अवैध प्लाटिंग/अवैध कॉलोनी में भूमि का क्रय/विक्रय नही करें।

भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)